बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार

बिहारभूमि

स्पष्ट सम्पदा शांति सर्वदा

ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी

बिहारभूमि

ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी

विषय सूची

I.	शुभकामना संदेश	02
II.	प्राक्कथन	03
III.	प्रस्तावना	04
IV.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रहीं ऑनलाइन सेवायें:	05
V.	**ऑनलाइन सेवायें**	06
1.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रहीं नागरिक सेवाओं का लाभ उठाने वाले रैयतों से अपील:	07
2.	दाखिल-खारिज की प्रक्रिया	08-10
3.	भू-लगान भुगतान की प्रक्रिया	11
4.	भू-मापी:आवेदन करने तथा स्थिति देखने की प्रक्रिया	12-13
5.	भू-अभिलेख पोर्टल: राजस्व अभिलेखों की स्कैन कॉपी देखने तथा डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी लेने हेतु पोर्टल	14-15
6.	राजस्व नक्शा की डोर-स्टेप डिलीवरी सेवा	16
7.	राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया	17-18
8.	परिमार्जन प्लस	19-21
9.	भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र	22-23
10.	जमाबंदी/ खेसरा पर SMS अलर्ट चुनने की सेवा	24
11.	भू-संपरिवर्तन पोर्टल	25-26
VI.	**ऑनलाइन सूचना**	27
1.	ऑनलाइन जमाबंदी पंजी देखने की सुविधा	28
2.	जमाबंदी पंजी के साथ प्रदर्शित अन्य सूचना	28
3.	जमाबंदी पंजी में प्रदर्शित सूचना में त्रुटि/ ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर क्या करें	29
4.	ऑनलाइन दाखिल-खारिज वाद की स्थिति देखने की सुविधा	29
5.	ऑनलाइन दखल-कब्जा प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा	29
6.	परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा	30
7.	जमाबंदी के किसी प्लॉट पर भूमि बंधक ऋण का पता लगाएं	30
8.	अपनी जमाबंदी की मोबाइल/आधार सीडिंग स्थिति देखें	31
9.	भू-नक्शा: राजस्व नक्शा देखने की प्रक्रिया	31
10.	राजस्व न्यायालय अंतर्गत दायर वाद की स्थिति तथा कॉज़-लिस्ट देखें	32
11.	विशेष सर्वेक्षण संबंधी सेवाओं का लाभ उठाएं	32

शुभकामना संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि वर्तमान समय में राज्य में संचालित भूमि संबंधी ऑनलाइन सेवाओं एवं सूचनाओं की प्राप्ति में आम नागरिकों एवं हितबद्ध रैयतों को हो रही कठिनाई को देखते हुए "**बिहारभूमि**" ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

आम नागरिकों एवं रैयतों के लिए समग्र रूप से उपयोगी इस पुस्तिका के प्रकाशन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी धन्यवाद के पात्र हैं।

संजय सरावगी
मंत्री,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

प्राक्कथन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के आम नागरिकों एवं भू-धारियों को सुविधा प्रदान करने एवं भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न ऑनलाईन सेवाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत हितबद्ध रैयतों को ऑनलाइन भूमि दाखिल-खारिज, ऑनलाइन भू-लगान, ऑनलाइन एल0पी0सी0 एवं ऑनलाइन परिमार्जन की सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त रैयतों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभाग स्तर से भू-सम्परिवर्तन, एस0एम0एस0 अलर्ट की सुविधा एवं जमाबंदी में आधार सीडिंग की व्यवस्था की गयी है।

विभाग स्तर से प्रदत्त इन ऑनलाइन सेवाओं एवं सूचनाओं की प्राप्ति एवं इसके सुगम क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित की जाती रही है। इसके बावजूद इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन दायर करने तथा भूमि संबंधी सुविधाओं की प्राप्ति के क्रम में आम रैयतों को हो रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग स्तर से एक पुस्तिका- "**बिहारभूमि**" ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पुस्तिका के प्रकाशन से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को उपलब्ध करायी जा रहीं ऑनलाइन सेवाओं को समझने एवं उसका त्वरित लाभ प्राप्त करने में सहूलियत होगी।

"**बिहारभूमि**" ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी पुस्तिका के प्रकाशन के लिए मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि यह पुस्तिका राज्य के आम रैयतों के साथ-साथ विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

दीपक कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रस्तावना

राज्य के आम नागरिकों एवं भू-धारियों को सुविधा प्रदान करने एवं भूमि सम्बन्धी मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन सेवायें यथा-ऑनलाइन भूमि दाखिल-खारिज, ऑनलाइन परिमार्जन, ऑनलाइन भू-लगान, ऑनलाइन एल0पी0सी0, ई-मापी, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली इत्यादि की सुविधा आम नागरिकों एवं हितबद्ध रैयतों को प्रदान की जा रही है। साथ ही, रैयतों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभाग स्तर से भू-सम्परिवर्तन, एस0एम0एस0 एलर्ट की सुविधा एवं जमाबंदी में आधार सीडिंग की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बिहारभूमि पोर्टल पर भूमि संबंधी विभिन्न जानकारियां/अभिलेख भी उपलब्ध हैं, जिसे आम रैयत अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान कर उसकी सत्यापित प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं।

विभाग स्तर से प्रदत्त इन ऑनलाइन सेवाओं एवं सूचनाओं की प्राप्ति एवं इसके सुगम क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित की जाती रही है, ताकि आम नागरिकों/रैयतों द्वारा इसका लाभ प्राप्त किया जा सके। तमाम प्रयासों के बावजूद इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन दायर करने तथा भूमि संबंधी सुविधाओं की प्राप्ति के क्रम में आम रैयतों को हो रही कतिपय कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग स्तर से एक पुस्तिका- **"बिहारभूमि"** ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रकाशन का निर्णय लिया गया है। इस पुस्तिका में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दायर करने से लेकर इसके निष्पादन तक की प्रक्रिया के साथ बिहारभूमि पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं/अभिलेखों को देखने एवं इसकी प्राप्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। इस पुस्तिका के प्रकाशन से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को उपलब्ध करायी जा रहीं ऑनलाइन सेवाओं तथा बिहारभूमि पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं को समझने एवं उसका त्वरित लाभ प्राप्त करने में सहूलियत होगी।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि विभाग द्वारा प्रकाशित **"बिहारभूमि"** ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी पुस्तिका न केवल राज्य के आम नागरिकों/हितबद्ध रैयतों बल्कि विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

जय सिंह

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रहीं ऑनलाइन सेवायें :

ऑनलाइन सेवायें	ऑनलाइन सूचना
1. ऑनलाइन दाखिल-खारिज 2. ऑनलाइन भू-लगान भुगतान 3. डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख 4. ई-मापी 5. परिमार्जन प्लस 6. ऑनलाइन राजस्व न्यायालय(RCMS) 7. भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन(भू-संपरिवर्तन) 8. राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी 9. जमाबंदी पर SMS अलर्ट चुनने की सेवा 10. भूमि दखल-कब्ज़ा प्रमाण पत्र (एलपीसी)	1. जमाबंदी रजिस्टर देखें 2. ऑनलाइन म्यूटेशन की स्थिति देखें 3. ऑनलाइन एलपीसी की स्थिति देखें 4. बंधक भूमि को देखने की सुविधा 5. भू-नक्शा- राजस्व मानचित्र देखने के लिए एक पोर्टल 6. मोबाइल/आधार सीडिंग स्थिति देखें 7. विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवायें 8. राजस्व न्यायालय वाद की स्थिति तथा Cause-List देखने की सुविधा

उक्त सभी सुविधाएं रैयत विभागीय पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवाओं के लिए रैयत अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉग इन करेंगे (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें) तब संबन्धित सेवा का लाभ उठाएंगे। ऑनलाइन सूचना बिना लॉग इन के उपलब्ध है।

ऑनलाइन सेवायें

अपील

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रहीं नागरिक सेवाओं का लाभ उठाने वाले रैयतों से अपील:

1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
2. इसी कड़ी में सेवाओं हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के त्वरित निष्पादन के दौरान अगर अंचलाधिकारी को आवेदन में सुधार/ कोई अन्य दस्तावेज़ की जरूरत होती है, तो आवेदन आवेदक के लॉग इन में वापस कर सुधार करने की व्यवस्था की गई है।
3. हाल के दिनों में यह मामला प्रकाश में आया है कि आवेदक अपना आवेदन स्वयं/ अपने जानकार के लॉगिन से नहीं कर, किसी अन्य व्यक्ति के लॉग इन से करा लेते हैं, तथा आवेदन में दुबारा सुधार हेतु वे उसी लॉग इन से कराने में अक्षम होते हैं।
4. अतः आमजनों से अनुरोध है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रहीं ऑनलाइन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए बिहारभूमि पोर्टल पर आप स्वयं के मोबाइल लॉग इन से या अपने किसी जानकार के मोबाइल से ही लॉग इन करें। अगर आप बिहारभूमि पोर्टल पर नए user हैं तो पहले आप अपने मोबाइल न0 से रजिस्ट्रेशन कर लें।
5. रैयत द्वारा पूर्व में ली गई सेवाओं के बारे में जानकारी उनके Login में संधारित रहती है।
5. स्वयं के मोबाइल नंबर से सेवा हेतु आवेदन करने पर उस सेवा के आवेदन के निष्पादन से संबन्धित सभी स्तर की सूचनायें आपको मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
6. बिहारभूमि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया निम्नवत है:
    a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "नागरिक लॉग इन" पर क्लिक
    b. अब आप Registration बटन पर क्लिक करें।
    c. Registration Form को भरें तथा "Register Now" बटन पर क्लिक करें। Registration Form में दिये गए मोबाइल न0 पर ओटीपी प्राप्त होगा।
    d. OTP भरकर Submit बटन पर क्लिक करें। आपका बिहारभूमि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा।
    e. अब आप अपने मोबाइल न0 की मदद से लॉग इन कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रहीं ऑनलाइन सेवाओं को बिहारभूमि पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

दाखिल-खारिज की प्रक्रिया

1. दाखिल-खारिज आवेदन का निष्पादन बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012 तथा समय-समय पर अधिनियम/नियमावली में किए गए संशोधनों/ परिपत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में की जाती है।
2. संप्रति दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है।
3. आवेदक को भूमि दाखिल-खारिज हेतु सर्वप्रथम ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन दायर करना होगा। आवेदन दायर करने की प्रक्रिया निम्नवत है-
    a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें" पर क्लिक करें।
    b. आप अपना मोबाइल न0 की सहायता से लॉग इन करें (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें) तथा "ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें" पर क्लिक करें। अपना जिला, अंचल चुन कर "नया दाखिल-खारिज आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें। अब आवेदक को दाखिल-खारिज आवेदन हेतु आवेदक का विवरण, खाता-खेसरा का विवरण, क्रेता/वंशज/हिस्सेदार का विवरण, विक्रेता/पूर्व जमाबंदीदार का विवरण, दाखिल-खारिज हेतु संबन्धित सभी साक्ष्य अपलोड करने का सेक्शन उपलब्ध होगा।
    c. दाखिल-खारिज आवेदन करने के लिए यह आवश्यक है कि जिस खेसरा की दाखिल-खारिज होनी है, उस खेसरा के विक्रेता/ पूर्व जमाबंदी रैयत की जमाबंदी ऑनलाइन हो तथा उस खेसरा में खारिज होने हेतु पर्याप्त रकबा दर्ज हो।
    d. आवेदक प्रत्येक सेक्शन का विवरण भर कर "Save & Next" बटन पर क्लिक करें। सभी सेक्शन का विवरण भरने के उपरांत क्रेता के मोबाइल न0 का OTP से सत्यापन करना होगा। सत्यापन के उपरांत आपको भरे हुये आपके आवेदन का preview दिखाई देगा। सभी विवरण सही होने पर "Final Submit" का बटन दबाएं। आपको आवेदन की पावती प्राप्त होगी, जिसमेंआवेदन जमा करने का एक Token number दिया रहेगा।
4. सभी विवरणी के साथ आवेदक द्वारा "Final Submit" किया गया आवेदन अंचलाधिकारी के समक्ष ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होगा। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन का अंचलाधिकारी द्वारा संवीक्षा की जाएगी। अंचलाधिकारी स्वयं या राजस्व कर्मचारी के माध्यम से संवीक्षा करा सकते हैं। संवीक्षा के दौरान अगर आवेदन सही पाया जाता है तो अंचलाधिकारी के न्यायालय

द्वारा उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा तथा उस आवेदन को एक दाखिल-खारिज वाद संख्या मिल जाएगा।

संवीक्षा के दौरान अगर आवेदन में कोई त्रुटि या आवश्यक दस्तावेज़ की कमी पाई जाती है तो अंचलाधिकारी के न्यायालय द्वारा उस आवेदन को सकारण आवेदक के लॉग इन में वापस कर दिया जाएगा जो आवेदक के लॉग इन में दिखाई देगा। आवेदक त्रुटि सुधार कर आवेदन को पुनः जमा कर सकता है। तत्पश्चात उस आवेदन से संबंधित एक दाखिल-खारिज वाद संख्या मिल जाएगा।

5. वाद संख्या मिलने के बाद उस दाखिल-खारिज वाद के प्रत्येक खेसरा का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन राजस्व कर्मचारी द्वारा अंकित किया जाएगा तथा उस वाद को आगे की कार्रवाई हेतु राजस्व अधिकारी के पास ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया जाएगा।
6. राजस्व अधिकारी राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन की जांच कर दाखिल-खारिज हेतु अपना मन्तव्य अंकित करेंगे तथा आगे की कार्रवाई हेतु अंचलाधिकारी के पास ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे।
7. अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन की जांच कर दाखिल-खारिज आदेश से पूर्व, संबंधित खेसरा के दाखिल-खारिज संबंधी आम सूचना तथा खास सूचना निर्गत करेंगे तथा 14 दिनों तक आपत्ति आने के प्रत्याशा में आदेश पारित करने से वंचित रहेंगे।
8. 14 दिनों के नोटिस अवधि के उपरांत आपत्ति दर्ज नहीं होने की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारी/ राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर या आवश्यक होने पर खुद के जाँच के उपरांत दाखिल-खारिज का आदेश पारित किया जाएगा।

   अगर दाखिल-खारिज स्वीकृति का आदेश पारित है तो अंचलाधिकारी स्वीकृति आदेश के उपरांत दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र निर्गत करेंगे। ऐसा करते ही स्वतः प्रश्नगत खेसरा का रकबा पूर्व रैयत से खारिज होकर नए रैयत के नाम से दाखिल हो जाएगा तथा दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सम्पन्न हो जाएगी।
9. 14 दिनों के नोटिस अवधि के दौरान आपत्ति दर्ज होने की स्थिति में अंचलाधिकारी सभी पक्षों की सुनवाई करेंगे तथा सुनवाई के उपरांत अपना आदेश पारित करेंगे।

दाखिल-खारिज आवेदन से संबन्धित ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें:

1. दाखिल-खारिज आवेदन रैयत खुद अपने लॉग इन से करें। अगर आप किसी अन्य के आईडी से सेवा का लाभ ले रहे हैं तो उसके संपर्क में रहें, ताकि सम्बंधित सूचनायें उसके माध्यम से आपको

उपलब्ध हो सकें।

2. दाखिल-खारिज आवेदन हेतु विक्रेता/ पूर्व की जमाबंदी रैयत के जमाबंदी में खारिज होने वाला खाता, खेसरा तथा रकबा का होना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में दाखिल-खारिज हेतु आवेदन करने वाले रैयतों से अनुरोध है कि आवेदन से पहले "विक्रेता/ पूर्व के जमाबंदी रैयत" जिसकी जमाबंदी से भूमि खारिज होनी है, को ऑनलाइन पोर्टल पर देख लें। अगर दाखिल-खारिज होने वाली भूमि का विवरण "विक्रेता/ पूर्व के जमाबंदी रैयत" की जमाबंदी में नहीं है तो पहले "परिमार्जन प्लस" पोर्टल के माध्यम से "विक्रेता/ पूर्व के जमाबंदी रैयत" की जमाबंदी में सुधार करवायें। तत्पश्चात भूमि के दाखिल खारिज हेतु आवेदन करें।
3. अगर "विक्रेता/ पूर्व जमाबंदी रैयत" की जमाबंदी संयुक्त जमाबंदी है, तो ऐसी स्थिति में अन्य हिस्सेदारों की सहमति पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन करते समय आवेदक को सभी साक्ष्य का अलग- अलग PDF अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
5. दाखिल-खारिज वादों के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध है।
6. दाखिल-खारिज Token number की स्थिति देखने हेतु उक्त पोर्टल पर उपलब्ध "Mutation Defect Check Status" पर क्लिक कर जिला, अंचल, Token number से Search कर सकते हैं।
7. दाखिल-खारिज वाद की स्थिति देखने हेतु उक्त पोर्टल पर उपलब्ध "दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति देखें" पर क्लिक कर जिला, अंचल, वाद संख्या तथा वर्ष का चयन कर Search बटन पर क्लिक करें।

भू-लगान भुगतान की प्रक्रिया

1. बिहार में भू-लगान भुगतान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 24 के तहत किया जाता है।
2. संप्रति भू-लगान भुगतान की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है।
3. भू-लगान भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/को खोलें तथा "भू-लगान" पर क्लिक करें।
   b. उसके बाद जिस जमाबंदी का लगान भुगतान करना है, उस जमाबंदी का जिला, अंचल, हलका, मौजा एवं जमाबंदी से संबंधित विवरण (यथा-भाग-पृष्ठ, रैयत का नाम, खाता, खेसरा, जमाबंदी सं0, कम्प्यूटराइज्ड जमाबंदी सं0 आदि) भरकर रैयत अपनी जमाबंदी पंजी के पेज को खोजें, जिसके पश्चात् अपनी जमाबंदी के आगे दिये गये "देखें" बटन पर click करें।
   c. देखें बटन click करने के पश्चात् जमाबंदी तथा लगान से संबंधित सभी सूचनाएं तथा बकाया राशि कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने लगेगी।
   d. लगान राशि भुगतान करने के लिए अपना नाम, मोबाइल संख्या तथा पता लिखकर ऑनलाइन भू-लगान भुगतान करने हेतु ऑनलाइन भुगतान करें बटन पर click करें।
   e. अब रैयत को लगान भुगतान करने हेतु वेब पेज दिखाई देगा, जहां लगान भुगतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध होंगे।
      i. E-payment (Online net banking PNB, IDBI, SBI, UBI, Canara Bank, Bank of Baroda only/ UPI-SBI/Debit and Credit Card-SBI)
      ii. Payment over the bank counter through challan (Only PNB & SBI)
   f. E-payment के माध्यम से भू-लगान के सफल भुगतान के बाद रैयतों को लगान रसीद की प्रति प्राप्त हो जाएगी।
   g. दूसरा विकल्प चयन करने पर बैंक चालान की प्रति प्राप्त होगी, जिसे रैयत अपने बैंक में जाकर challan के माध्यम से भू-लगान का भुगतान कर सकेंगे तथा लगान रसीद की प्रति वे अपनी जमाबंदी पंजी पृष्ठ से देख सकेंगे।
4. ऑनलाइन राशि भुगतान के पश्चात अगर account से पैसा कट जाये तथा रसीद निर्गत नहीं हो तो ऐसे में आप भू-लगान पोर्टल पर अपनी जमाबंदी को सर्च करिए तथा "पिछले भुगतान की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक कर पूर्व में सभी ट्रांजेक्शन तथा उसका स्टेटस देख सकते हैं।

भू-मापी:आवेदन करने तथा स्थिति देखने की प्रक्रिया

1. बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 118 में दिये गए प्रावधानों के आलोक में रैयती निजी जमीन की मापी कराई जाती है।
2. संप्रति भू-मापी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है।
3. भू-मापी हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें "E-Mapi" पर क्लिक करें।
   b. आप अपना मोबाइल no की मदद से लॉग इन करें (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें) तथा "apply mapi" पर क्लिक करें। अपना जिला, अंचल चुन कर "proceed" बटन पर क्लिक करें। फिर अपनी जमाबंदी का हलका, मौज़ा, भाग संख्या, पृष्ठ संख्या भर कर "Get Reg-2" बटन पर क्लिक करें।
   c. आपकी जमाबंदी का विवरण दिखाई देगा। अब आप जिस जमीन की मापी कराना चाहते हैं उसका खाता, खेसरा, रकबा भरकर "proceed" बटन पर क्लिक करें तथा आवेदक अपना पूर्ण विवरण दिये गए प्रपत्र में भरें तथा "save and next" बटन पर क्लिक करें।
   d. अब रैयत मापी की जाने वाली भूमि के चौहद्दीदार का विवरण भर कर "save and next" बटन पर क्लिक करें। अब आप मापी के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति चाहते हों तो उसका विवरण भरने का विकल्प मिलेगा, जिसे भरकर "save and next" बटन पर क्लिक करें।
   e. अब आपसे मापी से पूर्व कुछ प्रश्नोत्तरी पूछे जाएंगे। जिसको भरकर "save and next" बटन पर क्लिक करें, तथा संबन्धित साक्ष्य की PDF प्रति अपलोड करें। आपको "Self Declaration" की प्रति (आपके लॉग इन में self declaration प्रपत्र उपलब्ध है) अपलोड करना आवश्यक है।
   f. अब आप declaration accept कर "save and next" बटन पर क्लिक करें, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगा। जिस आवेदन संख्या से आप आवेदन की स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध "Search Application Status" से देख सकते हैं।
   g. अगर रैयत 60 दिन के अंदर मापी शुल्क जमा नहीं करते हैं तो आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा। अगर रैयत चाहे तो दुबारा आवेदन कर सकता है।

4. आवेदन भरने से संबन्धित अन्य सूचना:

   a. वैसे आवेदन जो पूर्ण रूप से नहीं भरे गए हैं, वो "Application Status" मेनू के अंतर्गत "Incomplete Forms" submenu में दिखाई देगा।

   b. वैसे आवेदन जो अंचलाधिकारी द्वारा मापी हेतु स्वीकृत कर आपको मापी फ़ीस जमा करने के लिए वापस की गई है, वो "Application Status" मेनू के अंतर्गत "Pending for mapi" submenu में दिखाई देगा। जहां आप "Proceed for Payment" पर क्लिक कर E-Payment विकल्प से मापी राशि का भुगतान करें तथा मापी की संभावित तिथि को भरें।

   c. अगर आप पेमेंट के उपरांत मापी की संभावित तिथि का चयन नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में आप "Application Status" मेनू के अंतर्गत "Tentative Date" submenu से भर सकते हैं। संभावित तिथि भरने के उपरांत आवेदन स्वतः अंचलाधिकारी के समक्ष मापी की तिथि तथा अमीन निर्धारित करने हेतु अग्रसारित कर दी जाएगी।

   d. मापी पूर्ण होने के उपरांत मापी का प्रतिवेदन आवेदक Report मेनू के "view Mapi" सेक्शन में देख सकते हैं।

5. आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया:

   a. आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन अंचलाधिकारी के समक्ष ऑनलाइन उपलब्ध होगा। अंचलाधिकारी द्वारा आवेदन की जांच कर जमीन की मापी उपयुक्त होने पर मापी फीस जमा करने के लिए आवेदक को सूचित किया जाएगा।

   b. रैयत द्वारा मापी का शुल्क जमा करने के उपरांत अंचलाधिकारी मापी हेतु अमीन तथा तिथि निर्धारित कर अमीन तथा रैयत को ऑनलाइन सूचित करेंगे। साथ ही अन्य संबन्धित को भी सूचना निर्गत की जाएगी।

   c. मापी के उपरांत अमीन मापी प्रतिवेदन ऑनलाइन अंचलाधिकारी को समर्पित करते हैं।

   d. अंचलाधिकारी द्वारा मापी प्रतिवेदन स्वीकृति के उपरांत मापी प्रतिवेदन आवेदक को ऑनलाइन दिखाई देने लगेगा।

भू-अभिलेख पोर्टल

राजस्व अभिलेखों की स्कैन कॉपी देखने तथा डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी लेने हेतु पोर्टल

1. बिहार अभिलेख मैनुअल, 1960 के नियम-297 (क) में निहित प्रावधानों के आलोक में राजस्व अभिलेखों की हस्ताक्षरित प्रति नागरिकों को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
2. राजस्व अभिलेखों की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था ऑनलाइन है।
3. राजस्व अभिलेखों की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें / भू-अभिलेख पोर्टल पर क्लिक करें।
   b. लॉग इन के उपरांत आपको अभिलेख खोजने का विकल्प दिखाई देगा। अब आप अन्य दस्तावेज़ को चुनें तथा दस्तावेज़ से संबन्धित अन्य विवरण (जो लागू हो,) यथा-जिला, अंचल, मौज़ा, वाद संख्या, साल, खाता, खेसरा, पार्टी नाम इत्यादि को भर कर Search बटन पर क्लिक करें। संबन्धित अभिलेख की सूची आपको दिखाई देगी।
   c. प्रत्येक अभिलेख के सामने देखने के लिए "View" को क्लिक करें, तथा डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के लिए "Apply for Download Copy" को क्लिक करें।
   d. नए स्क्रीन पर आपको कौन- कौन पृष्ठ की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति लेनी है उसको भरें। आपको भुगतेय राशि दिखाई देगी, अब आप Send Application पर क्लिक करें। प्रदर्शित सभी सूचना से संतुष्ट होने पर Make Payment पर क्लिक करें तथा राशि का भुगतान करें।
   e. भुगतान के बाद आपको एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी जिसे आप भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित कर लें। आवेदन की स्थिति देखने के लिए प्रोफ़ाइल icon के अंतर्गत Track Application पर क्लिक करें तथा संबन्धित आवेदन की स्थिति देखें।

4. भू-अभिलेख पोर्टल से प्राप्त होने वाले अभिलेखों की सूची निम्नवत है:

क्र0	अभिलेख का प्रकार	क्र0	अभिलेख का प्रकार
1.	कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान	17.	B.T Act की धारा 48D पजी एवं अभिलेख
2.	रिविजनल सर्वे खतियान	18.	गृह स्थल बंदोबस्ती पंजी एवं अभिलेख
3.	चकबन्दी खतियान	19.	भूमि मापी पंजी एवं अभिलेख
4.	राजस्व ग्राम मानचित्र	20.	भू-सम्पदा पंजी
5.	जमाबंदी पंजी (डिजिटाईज्ड)	21.	सैरात पंजी
6.	नामांतरण पंजी	22.	भूमि अतिक्रमण वाद पंजी एवं अभिलेख
7.	नामांतरण अभिलेख	23.	भू-दान, भूमि लगान निर्धारण एवं बन्दोबस्ती पंजी तथा अभिलेख
8.	नामांतरण शुद्धि पत्र की मौजावार रक्षी पंजी	24.	महादलित भूमि क्रय एवं बन्दोबस्त पजी एवं अभिलेख
9.	भूमि बंदोबस्ती पंजी	25.	सैरात बन्दोबस्ती पंजी एवं अभिलेख
10.	गैरमजरुआ आम/खास/ कैसरे हिन्द भूमि पंजी	26.	B.T Act की धारा 52A के वाद का पंजी एवं अभिलेख
11.	भू-हदबंदी भूमि बंदोबस्ती पजी	27.	गैरमजरुआ आम खास (मालिक) / कैसरे हिन्द/धार्मिक न्यास/वक्फ बोर्ड/कब्रिस्तान/ श्मशान आदि के भूमि से सबंधित पंजी
12.	भू-हदबंदी अभिलेख (finally adjudicated)	28.	सरकारी भूमि हस्तान्तरण पंजी
13.	भूमि क्रय पंजी		
14.	वासगीत अभिलेख पंजी		
15.	वासगीत पर्चा अभिलेख		
16.	राज्य सरकार द्वारा निर्गत हुए पत्रो/परिपत्रो/ संकल्प/अधिसूचना की रक्षी सचिका		

राजस्व नक्शों की डोर-स्टेप डिलीवरी सेवा

1. राज्य के आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुये विभाग द्वारा राजस्व मानचित्रों की A0 size printed तथा अभिप्रमाणित प्रति घर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. इस हेतु विभाग द्वारा भारतीय डाक विभाग की सहायता ली जा रही है।
3. राजस्व मानचित्रों की A0 size printed प्रति ऑनलाइन ऑर्डर करने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "Door Step Delivery of Revenue Maps" पर क्लिक करें।
   b. अब आप map से संबन्धित विवरण यथा Area Type, Map Type, District, Survey Thana/ Municipal तथा मौज़ा/ वार्ड को चुनें तथा Search Map पर क्लिक करें।
   c. अब आपको चुने हुये विकल्प के अनुसार राजस्व मानचित्र की सूची दिखाई देगी। "Click & View" पर क्लिक कर आप map को देख सकते हैं । जिस map की जितनी प्रति खरीदना चाहते हैं, चुन कर उस map के सामने दिये विकल्प को (✓) tick करें तथा "Add to Cart" बटन पर क्लिक करें। वह आपको अपना cart में दिखाई देने लगेगा।
   d. अगर आप और नक्शा cart में add (Max 5 Map/ Cart) करना चाहते हैं तो step -2 & 3 में दी गई प्रक्रिया से कर सकते हैं। Cart final होने पर आप Proceed बटन पर क्लिक करें तथा अपने delivery address को भर कर Checkout बटन पर क्लिक करें।
   e. अब आप pay now पर क्लिक कर payment के विकल्प को चुन कर अपनी राशि का भुगतान करें। सफलतापूर्वक भुगतान के उपरांत आपको स्क्रीन पर प्राप्ति रसीद दिखाई देगी, जिसे भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
   f. ऑनलाइन राजस्व मानचित्र का order status देखने के लिए www.biharbhumi.bihar.gov.in को खोलें तथा "Door Step Delivery of Revenue Maps" पर क्लिक कर "Track Your Order" पर क्लिक करें। प्राप्ति रसीद पर अंकित consignment no को दर्ज कर आप अपना order status देख सकते हैं।
4. ऑर्डर के उपरांत राजस्व मानचित्रों की A0 size printed तथा अभिप्रमाणित प्रति आपके दिये हुये पता पर 72 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी।

राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया

1. राजस्व न्यायालय में वाद की सुनवाई की प्रक्रिया विभिन्न अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के आलोक में की जाती है।
2. संप्रति राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया तथा तत्पश्चात सभी जानकारी (यथा संवीक्षा के उपरांत प्राप्त वाद संख्या, वाद की सुनवाई की तिथि तथा causelist, वाद की स्थिति, वाद में पारित अन्तरिम तथा अंतिम आदेश की प्रति) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती है।
3. राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें।
   b. "Revenue Court Management System" पर क्लिक करें तथा अब "File Case Online" बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉग इन करें। अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें तथा "राजस्व न्यायालय में मुकदमा दर्ज करें" पर क्लिक करें।
   c. न्यायालय चुनें जिसमें आप मुकदमा दायर करना चाहते हैं। आपको पांच विकल्प मिलेंगे- अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्ता तथा प्रमंडलीय आयुक्त।
   d. मुकदमा दायर करने के लिए, "ऑनलाइन केस सेक्शन" के अंतर्गत अधिनियम के नाम पर क्लिक करें। जिस अधिनियम के अंतर्गत आप वाद दायर करना चाहते हैं, उसे चुनें।
   e. जिला, सर्किल दर्ज करें और फिर "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें। इसके बाद भूमि से संबंधित सभी विवरण भरें और "Add Details" पर क्लिक करें। सभी मामलों को सुव्यवस्थित करने के बाद "Proceed" बटन पर क्लिक करें और उपलब्ध फॉर्म को भरें।
   f. सभी आवश्यक फील्ड भरें और सभी संबंधित दस्तावेज आदि अपलोड करने के बाद, "Save" बटन पर क्लिक करें। यदि सभी आवश्यक जानकारी सही से भरी गई है, तो फॉर्म Save हो जाएगा और एक अस्थायी नंबर प्रदान किया जाएगा। यहां Finalize करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
   g. यदि मामले को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी बदलाव की आवश्यकता हो, तो उपयोगकर्ता इसे "ड्राफ्ट एप्लिकेशन" में जाकर संपादित कर सकता है।

h. मामले को अंतिम रूप देने के बाद, केस रिकॉर्ड को "Defect Check" के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

i. मामले के "Defect Check" के बाद, केस नंबर आवंटित किया जाएगा। यदि कोई Defect है, तो याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा।

j. यदि न्यायालय द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता है, तो याचिकाकर्ता "Add Case Records" से केस रिकॉर्ड को ऑनलाइन जमा कर सकता है। आवश्यक दस्तावेज जोड़ने के लिए "दस्तावेज़ जोड़ें" लिंक पर क्लिक करें और फाइल अपलोड करें।

k. यह प्रक्रिया राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने को पारदर्शी और सुगम बनाने में सहायक है। आप भी इसका लाभ घर बैठे उठा सकते हैं।

4. वाद दायर करने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

a. वाद दायर करने के उपरांत रैयत को एक टोकन न0 प्राप्त होता है। इसके बाद वाद पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष संवीक्षा के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होगा। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन का पीठासीन पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा की जाएगी। संवीक्षा के दौरान अगर आवेदन सही पाया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा तथा एक वाद संख्या मिल जाएगा।

संवीक्षा के दौरान अगर आवेदन में कोई त्रुटि या आवश्यक दस्तावेज़ की कमी पाई जाती है तो पीठासीन पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा उस आवेदन को सकारण आवेदक के लॉग इन में वापस कर दिया जाएगा, जो आवेदक के लॉग इन में दिखाई देगा। आवेदक त्रुटि सुधार कर वाद को पुनः जमा कर सकता है। तत्पश्चात उस आवेदन को एक वाद संख्या मिल जाएगा।

b. वाद संख्या मिलने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उस वाद को सुनवाई की पहली तिथि दी जाएगी तथा सुनवाई हेतु causelist प्रकाशित की जाएगी।

c. सुनवाई की तिथि को सुनवाई के दौरान पारित अन्तरिम/ अंतिम आदेश को ऑनलाइन अंकित करने के उपरांत सुनवाई की अगली तिथि अंकित की जाएगी।

d. सुनवाई से पूर्व पीठासीन पदाधिकारी सुनवाई की तिथि का causelist प्रकाशित करेंगे।

e. यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जबतक वाद निष्पादित न हो जाए।

f. वादी/ प्रतिवादी वाद की स्थिति तथा अन्य सभी जानकारी पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं ।

परिमार्जन प्लस

1. “परिमार्जन प्लस” डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों में सुधार/ छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु एक पोर्टल है।

2. परिमार्जन प्लस के अंतर्गत जमाबंदी पंजी सुधार/ लोप संबंधी सुधार विभागीय पत्रांक-1426(9) दिनांक-05/06/2024, पत्रांक-2397(9) दिनांक-28/08/2024, पत्रांक-168(9) दिनांक-20/01/2025 तथा पत्रांक-1597(9A) दिनांक-01/03/2025 के आलोक में की जाती है।

3. परिमार्जन प्लस पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसके तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत है:

4. ऑनलाइन उपलब्ध पुरानी जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन दायर करने की प्रक्रिया:

   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/को खोलें।

   b. अब परिमार्जन प्लस पर क्लिक करें। अगर आप registered User हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉग इन करें (अगर नए user हैं तो पहले आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें) तथा परिमार्जन प्लस पर क्लिक करें।

   c. आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रकार तथा "डिजिटल जमाबंदी में सुधार करें" के अंतर्गत "Rectification in Old Jamabandi" को चुनें। (ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया से पूर्व की जमाबंदी)

   d. उसके बाद जिस जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन देना है, उस जमाबंदी को search करें।

   e. सुधार हेतु सर्च की गई जमाबंदी के आगे दिए गए बटन पर क्लिक करें। जमाबंदी का पूरा विवरण दिखेगा। अब रैयत को अपना नाम, पिता का नाम, पता इत्यादि से संबंधित सुधार, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, क्षेत्रफल से संबंधित सुधार का विकल्प मिलेगा। जमाबंदी में जितना बदलाव हेतु आवेदन करना है, उसका चुनाव कर क्या बदलाव करना है, उससे संबंधित विवरण भरें।

   f. जिस सेक्शन में सुधार हेतु आवेदन करना है, उसको YES करें। अब आपको उस सेक्शन का विवरण बदलने का प्रपत्र खुल जाएगा। उस सेक्शन के जिस विवरण को बदलना है, उस विवरण के आगे दिए हुए "परिवर्तन अनुरोध" को YES करें। अब आप विवरण में

बदलाव करें। इसी तरह जो भी बदलाव करना है, उस सेक्शन के विवरण को update करें।

g. सभी बदलाव दर्ज करने के बाद, उन बदलावों से संबंधित साक्ष्य को अपलोड करें तथा Preview बटन पर क्लिक करें।

h. आपके द्वारा भरे गये सभी विवरण दिखाई देने के बाद, एक बार सभी विवरण देखें। अगर सही हो तो आवेदन पत्र को Finalize कर दें अथवा यदि बदलाव करना हो तो Edit करें। क्योंकि Finalize करने के बाद आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते।

i. Final Submit के बाद आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिससे आप Status पता कर सकते हैं।

j. अगर आपके द्वारा जमा किए हुए आवेदन में अंचल अधिकारी को कोई आपत्ति है, तो वे आपको आपके comment के साथ आपत्ति दर्ज करने के लिए कह सकते हैं। इस स्थिति में, वह आवेदन आपके लॉग इन में Home Screen पर दिखेगा। इसके बाद आवश्यक सुधार ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए कर सकते हैं।

5. कम्प्यूटराईजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाईज कर ऑनलाइन कराने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया-

a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "Parimarjan Plus" पर क्लिक करें।

b. अगर आप registered User है, तो आप अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉग इन करें (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा "परिमार्जन प्लस" पर क्लिक करें।

c. आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रकार यथा "कम्प्यूटराईजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाईजेशन" को चुनें। अब अपना जिला, अंचल को चुन कर Process बटन पर क्लिक करें।

d. हलका, मौज़ा चुन कर "Prepare Application" पर क्लिक करें। अब आपको अपनी जमाबंदी से संबन्धित विवरण यथा जमाबंदी नंबर, रैयत का नाम, प्लॉट का विवरण, लगान संबंधी विवरण भरना है तथा ऑनलाइन किए जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ को अपलोड करना है।

e. आवेदन के पहले भाग में जमाबंदी नंबर, होल्डिंग नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर में जो विवरण ज्ञात हो, उसको भर कर Next बटन पर क्लिक करें तत्पश्चात रैयत का विवरण, प्लॉट विवरण, लगान विवरण की सभी अनिवार्य सूचना अंकित कर "Next" बटन पर क्लिक करें। अंतिम भाग में आवेदक को विभिन्न साक्ष्य का अलग- अलग पीडीएफ़ अपलोड करना है तथा preview बटन पर क्लिक करना है।

f. आपके द्वारा भरा गया आवेदन का विवरण आपको दिखाई देगा। सब कुछ सही होने पर Final Submit बटन पर क्लिक करें। आपको एक प्राप्ति रसीद मिलेगा, जिसको आप भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आवेदन में त्रुटि होने पर Edit बटन पर क्लिक कर पुनः आवेदन में बदलाव कर सकते हैं ।

g. अगर आपके द्वारा जमा किए हुये आवेदन में अंचल अधिकारी को कोई आपत्ति है तो वो आपको अपने मन्तव्य के साथ वापस कर सकते हैं । ऐसे में वह आवेदन आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉग इन के होम स्क्रीन पर दिखेगा, जिसमें आवश्यक सुधार ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए कर सकते हैं।

6. परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति देखने के लिए https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति देखें" पर क्लिक करें, जिला, अंचल, आवेदन संख्या डाल कर Search बटन पर क्लिक करें।

7. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के उपरांत यह आवेदन अंचलाधिकारी को ऑनलाइन उपलब्ध होता है, जो आवेदन को जांच हेतु राजस्व कर्मचारी को अग्रसारित करते हैं।

8. राजस्व कर्मचारी द्वारा आवेदन की जांच के क्रम में यदि आवेदक का सुधार हेतु आवेदन सही पाया जाता है, तो अंचलाधिकारी को स्वीकृति के लिए अग्रसारित करते हैं। अगर राजस्व कर्मचारी द्वारा आवेदन सही नहीं पाया जाता है, तो सकारण इस आवेदन को आवेदक के पास सुधार हेतु वापस करते हैं। जिसके बाद आवेदक सुधार कर दुबारा आवेदन कर सकता है।

9. अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर या स्वयं जांच कर किसी आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं।

10. स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदित सुधार जमाबंदी पंजी में संधारित हो जाएगा।

11. सुधार हेतु आवेदन लौटाए जाने के उपरांत अगर 30 दिन के अंदर रैयत आवेदन सुधार कर वापस नहीं करते तो आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।

अगर आवेदक चाहे तो दुबारा आवेदन कर सकते है।

भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र

1. भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र की राज्य के नागरिकों को सरकारी लाभ या ऋण लेने हेतु जरूरत होती है।
2. भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सुविधा पूर्णतः ऑनलाइन है।
3. भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें" पर क्लिक करें।
   b. आप अपना मोबाइल no की मदद से लॉग इन करें (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें) तथा "ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें" पर क्लिक करें। अपना जिला, अंचल चुन कर "नया LPC आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें। फिर अपनी जमाबंदी का हलका, मौज़ा तथा जमाबंदी से संबन्धित किसी एक विकल्प यथा भाग संख्या- पृष्ठ संख्या, खाता, खेसरा, नाम, जमाबंदी संख्या को भर कर "Search" बटन पर क्लिक करें।
   c. जमाबंदी में लगान अद्यतन होने की स्थिति में "apply for LPC" बटन पर क्लिक करें। लगान अद्यतन नहीं होने की स्थिति में पहले ऑनलाइन लगान का भुगतान करें।
   d. अब जमाबंदी की सूची दिखाई देगी। जिस जमाबंदी का भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है, उसके आगे दिये गए "चयन करें" पर क्लिक करें। अब आपको जमाबंदी की पूरी विवरणी दिखाई देगी।
   e. अब आवेदक से संबन्धित विवरणी, यथा- नाम, पता तथा LPC आवेदन का उद्देश्य को भरें तथा LPC हेतु आवश्यक स्व-घोषणा पत्र के साथ कोई अन्य साक्ष्य हो तो उसका PDF अपलोड करें तथा "Save & Next" पर क्लिक करें। आपको आपके आवेदन का preview दिखाई देगा, सबकुछ सही होने पर "Final Submit" का बटन दबाएं। आपको आवेदन की पावती प्राप्त होगी।
   f. भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति देखने हेतु रैयत https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "LPC आवेदन स्थिति देखें" पर क्लिक कर अपना आवेदन संख्या / वर्ष चुन कर Search बटन पर क्लिक करें। आपके आवेदन की स्थिति दिखाई देगी, स्वीकृति की स्थिति में रैयत अपना भूमि दखल-

कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

4. ऑनलाइन भूमि-दखल कब्जा प्रमाण पत्र की विशेषताएं निम्नवत हैं :

a. डिजिटाइज्ड जमाबंदी के विरुद्ध ऑनलाइन एलपीसी जारी की जाएगी।

b. एलपीसी आवेदन ऑनलाइन अंचलाधिकारी के समक्ष दायर होता है तथा एलपीसी ऑनलाइन जमाबंदी की जाँच तथा रैयत के स्व-घोषणा के आधार पर अंचलाधिकारी द्वारा ही एलपीसी निर्गत की जाती है।

c. पूरे राज्य के लिए एलपीसी का एकल मॉडल प्रारूप विकसित है।

d. यदि जमाबंदी में एक से अधिक रैयत हैं, तो सभी रैयतों के नाम सहित एकल एलपीसी जारी की जाएगी।

e. संयुक्त जमाबंदी के मामले में यदि रैयत अपनी जमीन के हिस्से के लिए अलग एलपीसी चाहते हैं, तो पहले उन्हें बंटवारा म्यूटेशन के माध्यम से अपने नाम पर जमाबंदी का बंटवारा कराना होगा।

f. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र भी जमा करना होगा।

g. जारी किए गए सभी एलपीसी संबंधित जमाबंदी पंजी पेज पर सत्यापन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

h. एलपीसी जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी, उचित और त्वरित है।

जमाबंदी/ खेसरा पर SMS अलर्ट चुनने की सेवा

1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि स्वामियों की सुविधा के लिए एसएमएस अलर्ट सेवा शुरू की गई है। जमाबंदी पर SMS अलर्ट सेवा चुन कर जमाबंदी में Rectification/ Transaction का SMS अलर्ट आप अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए भूमि स्वामियों को अपने मोबाइल नंबर को अपनी या अपने interest की जमाबंदी/ खेसरा से लिंक करना आवश्यक है।

3. जमाबंदी पर SMS अलर्ट सेवा चुनने की प्रक्रिया निम्नवत है:

   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करें" पर क्लिक करें।

   b. आप अपना मोबाइल no की मदद से लॉग इन करें (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा "SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करें" पर क्लिक करें। अपना जिला, अंचल चुन कर "Next" बटन पर क्लिक करें। फिर अपनी जमाबंदी का हलका, मौज़ा, भाग संख्या, पृष्ठ संख्या भर कर "Search" बटन पर क्लिक करें।

   c. तत्पश्चात जमाबंदी की सूची दिखाई देगी। अब आप जिस जमाबंदी पर SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उस जमाबंदी के आगे दिये गए Next बटन पर क्लिक करें। अब आपको जमाबंदी की पूरी विवरणी दिखाई देगी।

   d. अगर आप किसी संबन्धित प्लॉट पर SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस प्लॉट के सामने दिये गए विकल्प पर (✓) tick लगाएं, जमाबंदी के सभी प्लॉट पर SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करने हेतु Check All को (✓) tick करें तथा Proceed बटन पर क्लिक करें।

   e. अब आप मोबाइल पर प्राप्त OTP को भरकर Submit बटन पर क्लिक करें। आपकी जमाबंदी के प्लाट/खेसरा पर SMS अलर्ट सेवा दर्ज कर ली जाएगी।

   f. जमाबंदी पर SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करने हेतु सम्बद्ध मोबाइल को देखने हेतु रैयत https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "Check AADHAAR/ Mobile Seeding Status" पर क्लिक करें तथा अपना कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर भरकर Chek Status बटन पर क्लिक करें।

भू-संपरिवर्तन पोर्टल

1. बिहार में भू-संपरिवर्तन की प्रक्रिया बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 के तहत की जाती है।
2. संप्रति यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है।
3. भू-संपरिवर्तन की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें / Change in Land use पर Click करें। अपने मोबाइल न0 की मदद से लॉग इन करें। (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें।)
   b. आवेदन करने के लिए "Start New Application" पर क्लिक करें।
   c. अब आप जिस भूमि का संपरिवर्तन कराना चाहते हैं उस खेसरा का Computerized Jamabandi No दर्ज कर "Get Details" पर क्लिक करें।
   d. अब आपको उस जमाबंदी के सभी खेसरा का विवरण दिखाई देगा। जिस खेसरा को संपरिवर्तन कराना चाहते हैं, उस खेसरा को चुनें तथा संपरिवर्तन हेतु उस खेसरा का रकबा, चौहद्दी तथा संपरिवर्तन का कारण दर्ज करें।
   e. अगर उसी खेसरा से संबंधित अन्य खेसरा के रकबा का संपरिवर्तन कराना चाहते हैं तो उस खेसरा का रकबा, चौहद्दी तथा संपरिवर्तन का कारण भी दर्ज करें।
   f. अगर इसी आवेदन में दूसरी जमाबंदी के खेसरा को भी add करना चाहते हैं तो "Add More Jamabandi Number" में अपना दूसरा जमाबंदी न0 डालकर add बटन पर क्लिक करें तथा ऊपर दी गई प्रक्रिया से खेसरा का विवरण भरें।
   g. सभी खेसरा का विवरण भर कर save बटन पर क्लिक करें तथा "proceed to next step" पर क्लिक करें।
   h. अब आप आवेदक के रिपोर्ट को भर कर Save बटन पर क्लिक करें। आपको आपके द्वारा भरे गए सभी विवरण दिखाई देंगे, विवरण का सत्यापन कर next बटन पर क्लिक करें। विवरण गलत होने पर पूर्व के स्टेप में जाकर विवरण में सुधार कर सकते हैं।

i. अब आप आवेदन से संबन्धित Declaration को चुन कर Send OTP पर क्लिक करें, तथा मोबाइल पर प्राप्त OTP को भर कर Submit बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दायर हो जाएगा तथा स्क्रीन पर आपको आपके आवेदन की संख्या तथा उसका Status दिखाई देगा।

4. भू-संपरिवर्तन आवेदन के निष्पादन की प्रक्रिया:

a. भू-संपरिवर्तन आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दायर होते हैं।

b. अनुमंडल पदाधिकारी आवेदन से संबंधित संपरिवर्तन हेतु भौतिक जांच तथा संपरिवर्तन शुल्क की जानकारी हेतु आवेदन को क्रमशः अंचलाधिकारी तथा जिला उपनिबंधक पदाधिकारी को भेजते हैं।

c. अंचलाधिकारी तथा जिला उपनिबंधक पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी आवेदक को संपरिवर्तन शुल्क भुगतान हेतु सूचित करते हैं। यह सूचना उनके लॉग इन में ही उपलब्ध करायी जाती है।

d. आवेदक के संपरिवर्तन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने लॉग इन से आवेदन को स्वीकृत कर भू-संपरिवर्तन प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे, जो आवेदक के लॉग इन में उपलब्ध होगा, जिसे प्रिंट किया जा सकता है।

ऑनलाइन सूचनायें

ऑनलाइन जमाबंदी पंजी देखने की सुविधा

1. दिसम्बर -2017 से अक्टूबर -2018 तक राज्य के सभी 534 अंचलों में लगभग 3.58 करोड़ जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर विभाग के पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर सार्वजनिक कर दिया गया। तत्पश्चात जमाबंदी पंजी को अद्यतन करने हेतु दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई।
2. संप्रति राज्य की 4 करोड़ 40 लाख जमाबंदी को लोग ऑनलाइन देख सकते हैं।
3. जमाबंदी पंजी देखने की ऑनलाइन प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "जमाबंदी पंजी देखें" पर क्लिक करें।
   b. संबन्धित जिला, अंचल चुनें तथा "Proceed" पर क्लिक करें। हलका(पंचायत), मौज़ा का नाम चुनें तथा जमाबंदी से संबन्धित किसी एक विकल्प (यथा भाग संख्या- पृष्ठ संख्या/ रैयत का नाम/ खाता संख्या/ खेसरा संख्या/ पुरानी जमाबंदी संख्या/ कम्प्युटरीकृत जमाबंदी संख्या) को चुने तथा उस विकल्प को भर कर "Search" बटन पर क्लिक करें। अथवा उस मौज़ा की समस्त जमाबंदी देखने के विकल्प को चुन कर "Search" बटन पर क्लिक करें।
   c. अब आपको अपने चुने हुये विकल्प के आधार पर जमाबंदी की सूची दिखाई देगी। जिस जमाबंदी को देखना हो, उसके सामने दिये "view" पर क्लिक करें। आपको अपनी जमाबंदी से संबन्धित सभी विवरणी दिखाई देगी।

जमाबंदी पंजी के साथ प्रदर्शित अन्य सूचना:

1. उक्त जमाबंदी से ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया (2017-18 के पश्चात) से खारिज किये गये वाद का विवरण।
2. उक्त जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंधक (Land Mortgage) से सम्बंधित विवरण।
3. उक्त जमाबंदी में अंचल स्तर से किए गए बदलाव से संबन्धित विवरण।
4. उक्त जमाबंदी के विरुद्ध विभिन्न राजस्व कोर्ट में दायर मुकदमों का विवरण।
5. Land Mortgage तथा राजस्व न्यायालय के वही मामले दिखाई देंगे जिसे ऑनलाइन किया जा चुका है।

जमाबंदी पंजी में प्रदर्शित सूचना में त्रुटि/ ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर क्या करें:

1. अगर जमाबंदी पंजी में प्रदर्शित विवरण में कोई त्रुटि हो/ या रैयत की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे में रैयत परिमार्जन प्लस पोर्टल (https://biharbhumi.bihar.gov.in) पर आवश्यक दस्तावेज़ के साथ सुधार/ ऑनलाइन करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन दाखिल-खारिज वाद की स्थिति देखने की सुविधा

1. ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a) https://biharbhumi.bihar.gov.in को खोलें तथा "दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखे" पर क्लिक करें।
   b) जिला/अंचल/ वित्तीय वर्ष चुनने के बाद proceed बटन पर क्लिक करें।
   c) "केस नंबर से खोजे" का विकल्प चुन कर अपना दाखिल-खारिज केस संख्या दर्ज करें।
   d) सुरक्षा कोड डालने के बाद search बटन पर क्लिक करें। दाखिल-खारिज वाद की स्थिति दिखाई देगी।

ऑनलाइन दखल-कब्जा प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा

1. ऑनलाइन दखल-कब्जा प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a) https://biharbhumi.bihar.gov.in को खोलें तथा "एलपीसी आवेदन स्थिति देखे" पर क्लिक करें।
   b) जिला/अंचल/ वित्तीय वर्ष चुनने के बाद proceed बटन पर क्लिक करें।
   c) "केस नंबर से खोजे" का विकल्प चुन कर अपना दखल-कब्जा प्रमाण पत्र आवेदन संख्या दर्ज करें।
   d) सुरक्षा कोड डालने के बाद search बटन पर क्लिक करें। दखल-कब्जा प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।

परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा

1. परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in को खोलें तथा परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति देखें पर क्लिक करें।
   b. डिजिटल जमाबंदी में सुधार/ कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटाईजेशन विकल्प को चुनें।
   c. अब आप जिला/अंचल/ चुनने के बाद आवेदन संख्या प्रविष्ट करें।
   d. सुरक्षा कोड डालने के उपरान्त search बटन पर क्लिक करें। आपको अपने परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।

जमाबंदी के किसी प्लॉट पर भूमि बंधक ऋण का पता लगाएं

1. भूमि बंधक ऋण लेने पर बैंकर्स उस जमाबंदी के प्लॉट पर ऋण का विवरण अंकित करते हैं ।
2. यह विवरण जमाबंदी पंजी पर दिखाई देता है।
3. किसी भूमि पर भूमि बंधक ऋण का पता लगाने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. सबसे पहले उस जमाबंदी को खोजें। जमाबंदी पंजी देखने की प्रक्रिया ऊपर दी हुई है।
   b. उस जमाबंदी पंजी पर दिये गए लिंक "जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंधक (Land Mortgage) से सम्बंधित विवरण" पर क्लिक करें।
   c. अगर उस जमाबंदी पर या जमाबंदी के किसी खेसरा पर भूमि बंधक ऋण होगा, तो उसका विवरण दिखाई देगा।

अपनी जमाबंदी की मोबाइल/आधार सीडिंग स्थिति देखें

1. अपनी जमाबंदी की मोबाइल/आधार सीडिंग स्थिति देखने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in को खोलें तथा "Check Aadhaar/ Mobile Seeding Status" पर क्लिक करें।
   b. अब आप जिस जमाबंदी का status चेक करना चाहते हैं उस जमाबंदी का कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या प्रविष्ट करें तथा "check status" बटन पर क्लिक करें।
   c. आपको उस कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या से सम्बद्ध मोबाइल संख्या तथा आधार संख्या की स्थिति दिखाई देगी।

भू-नक्शा: राजस्व नक्शा देखने की प्रक्रिया

1. भू-नक्शा पोर्टल से डिजिटल राजस्व नक्सा देखने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://bhunaksha.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "View Map" पर क्लिक करें।
   b. अब आप जिस नक्शा को देखना चाहते हैं उस नक्शा से संबन्धित विवरण, यथा- जिला, अनुमंडल, अंचल, राजस्व ग्राम, सर्वेक्षण का प्रकार, नक्शा की प्रति संख्या तथा मानचित्र का शीट संख्या को चुने। संबन्धित नक्शा आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।
   c. अब आप अगर उस प्लॉट की किसी खेसरा का विवरण देखना चाहते हैं, तो उस खेसरा पर क्लिक करें, आपको उस खेसरा से संबन्धित विवरण दिखाई देगा।

राजस्व न्यायालय अंतर्गत दायर वाद की स्थिति तथा कॉज़-लिस्ट देखें

1. राजस्व न्यायालय अंतर्गत दायर वाद की स्थिति तथा कॉज़-लिस्ट देखने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "Revenue Court Management System" पर क्लिक करें।
   b. वाद की स्थिति देखने के लिए "case Status" पर क्लिक करें।
   c. अब आप न्यायालय का प्रकार, न्यायालय अंतर्गत अधिनियम का नाम, जिला, न्यायालय का नाम, वाद का वित्तीय वर्ष तथा वाद संख्या को भरें तथा "Search" बटन पर क्लिक करें।
   d. आपको अपने वाद की अद्यतन स्थिति का पता चल जाएगा।
   e. Cause-List देखने के लिए "Cause List" पर क्लिक करें।
   f. अब आप न्यायालय का प्रकार, न्यायालय अंतर्गत अधिनियम का नाम, जिला, न्यायालय का नाम, जिस दिन का cause-list देखना चाहते हैं उस तिथि को भरें तथा "See Causelist" बटन पर क्लिक करें।
   g. आपको उस तिथि को सुनवाई हेतु वादों की सूची दिखाई देगी।

विशेष सर्वेक्षण संबंधी सेवाओं का लाभ उठाएं

1. विशेष सर्वेक्षण संबंधी सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया निम्नवत है:
   a. https://dlrs.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "विशेष सर्वेक्षण संबंधी सेवाएँ" पर क्लिक करें।
   b. आपको बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधी सेवाओं की सूची दिखाई देगी। जिस सेवा को आप लेना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।
   c. अब आप अपने जिला, अनुमंडल, अंचल तथा मौज़ा का नाम चुनकर स्क्रीन पर दिये गए अनुदेश का पालन कर उस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Visit: https://biharbhumi.bihar.gov.in/ | https://dlrs.bihar.gov.in/

#BiharRevenueLandReformsDept